

प्रेषक,

सक्षम प्राधिकारी,
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

कमान अधिकारी,
75, आर0सी0सी0,
पीपलकोटी।

संख्या- 3074/आठ-एम0बी0 (2017-2018) गोपेश्वर दिनांक 26 फरवरी, 2018

विषय- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के किमी0 446.00 से किमी0 528.00 (माणा) तक 3जी अभिनिर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सर्वे रिपोर्ट का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसमें संशोधित एल0ए0पी के पश्चात् निजी नाप भूमि के वह खसरा नम्बर जो कि 3 डी में कृषि में दर्शाये गये हैं तथा संरेखण के अन्दर हैं तथा जिसका मूल्यांकन संयुक्त सर्वे समिति के द्वारा किया गया है जिसमें आपके विभाग के जूनियर इंजीनियर भी उपस्थित थे। दिनांक 21.02.2018 को संमरेखण के अन्दर आने वाले खसरों को सत्यापन हेतु आपको प्रेषित किये जाने के उपरान्त आपके स्तर से यह टिप्पणी की गयी है कि जो खसरे लम्बित एवं समरेखण से बाहर है अगर वो संशोधित एल0ए0पी0 में आ रहे है उसकी भी 3जी बनाने का कष्ट करें। आपको अवगत कराना है कि संयुक्त सर्वे समिति के द्वारा ग्राम पाण्डुकेश्वर एवं आँध हनुमानचट्टी में जो खसरा नम्बर संमरेखण के अन्दर एवं जिन पर सड़क निर्मित नहीं थी उन खसरा नम्बरों को प्रस्तावित किया गया है।

ग्राम पाण्डुकेश्वर के वह खसरा नम्बर जो कि 3डी में निजी कृषि के रूप में दर्ज है एवं 0-50 मी0 के अन्दर है उनका 3ए के प्रकाशन दिनांक 06 मई 2016 के समय जिलाधिकारी चमोली द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2016 से जारी सर्किल रेट के अनुसार कृषि दर पर मूल्यांकन किया गया है। ग्राम पाण्डुकेश्वर नगरीय नगर पंचायत या नगर पालिका के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसका गुणांक (ग्रामीण)- 02 है, मूल्यांकन निम्नवत् है-

जिला चमोली तहसील जोशीमठ ग्राम पाण्डुकेश्वर											
उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के किमी0 446.00 (पाखी) से किमी0 528.00 (माणा) तक सड़क खण्ड के लिये अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण											
क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	भू-स्वामी का नाम	भूमि का प्रकार	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (है0 में) कृषि दर	मूल्यांकन (सर्किल रेट के अनुसार) (100 लाख प्रति है0)	गुणांक @ x2	तोषण@ 100%	योग (8+9)	15 जून 2016 से 22 फरवरी 2018 तक दिन 618 @ 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मूलधन पर (रु0 में)	प्रतिकर अर्वाइड का कुल योग (रु0 में) (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	28	2476	जगदीशसिंह आदि	निजि	0.013	130000	260000	260000	520000	26413	546413
2	54	1975	दीपकसिंह आदि	निजि	0.001	10000	20000	20000	40000	2032	42032
3	54	1962	दीपकसिंह आदि	निजि	0.003	30000	60000	60000	120000	6095	126095
4	38	1651	जीवेन्द्रसिंह आदि	निजि	0.007	70000	140000	140000	280000	14222	294222
5	50	1647	देवीदत्त आदि	निजि	0.024	240000	480000	480000	960000	48763	1008763
6	104	429	रजनीश आदि	निजि	0.002	20000	40000	40000	80000	4064	84064
7	74	688	बृजेश सिंह आदि	निजि	0.002	20000	40000	40000	80000	4064	84064
8	56	248	नरेन्द्रसिंह आदि	निजि	0.005	50000	100000	100000	200000	10159	210159
9	56	247	नरेन्द्रसिंह आदि	निजि	0.008	80000	160000	160000	320000	16254	336254
10	110	237	रवीन्द्रसिंह आदि	निजि	0.028	280000	560000	560000	1120000	56890	1176890
11	152	208	सुशीलसिंह आदि	निजि	0.004	40000	80000	80000	160000	8127	168127

12	152	209	सुशीलसिंह आदि	निजि	0.003	30000	60000	60000	120000	6095	126095
13	119	210	लक्ष्मणसिंह आदि	निजि	0.002	20000	40000	40000	80000	4064	84064
14	152	211	सुशीलसिंह आदि	निजि	0.001	10000	20000	20000	40000	2032	42032
15	152	212	सुशीलसिंह आदि	निजि	0.001	10000	20000	20000	40000	2032	42032
16	129	214	हरेन्द्रसिंह आदि	निजि	0.010	100000	200000	200000	400000	20318	420318
17	51	172	दिगम्बर सिंह आदि	निजि	0.002	20000	40000	40000	80000	4064	84064
योग-					0.116	1160000	2320000	2320000	4640000	235687	4875687
										प्रशासनिक व्यय @ 2.5%	121892
										सम्पूर्ण योग-	4997579
(उनपच्चास लाख सत्तानब्बे हजार पाँच सौ नवासी रूपये मात्र)											

इन खसरा नम्बरों एवं उनके रकवे एवं मूल्यांकन का अपने स्तर से भी परीक्षण कर ले, यदि कोई आपत्ति हो तो धनराशि अवमुक्त कराने से पूर्व अवगत करा लें। यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि यदि सम्बन्धित भूस्वामियों की भूमि जिसका पूर्व में भुगतान किया जा चुका है और उस भूमि का पुनः अर्जन कर लिया गया है तो इसका प्रतिकर भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः यह धनराशि अनुमानित है।

भवदीय,

सक्षम प्राधिकारी /

अपर जिलाधिकारी, चमोली।

प्रतिलिपि- निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु (गढवाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि आप भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मुआवजे की धनराशि को नियमानुसार वितरित किये जाने के उद्देश्य हेतु Fact Finding Commette के सदस्य है, अतः अपने स्तर से धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व परीक्षण कर लें।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि आप भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मुआवजे की धनराशि को नियमानुसार वितरित किये जाने की उद्देश्य हेतु Fact Finding Commette के सदस्य है, अतः अपने स्तर से धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व परीक्षण कर लें।
7. क्षेत्रीय अधिकारी- मुख्य अभियन्ता, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय 46/1 कैनल रोड जाखन देहरादून।

YEAR (2017-18)
 DEPARTMENT VJI-MB
 REGISTERED 4708
 DATE 26-2-18

सक्षम प्राधिकारी /
 अपर जिलाधिकारी, चमोली।

File No. 26/12/18
 Date 26/12/18
 Signature

Received
 Singh
 26/2/2018

प्रेषक,

सक्षम प्राधिकारी,
अपर जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

कमान अधिकारी,
75, आर0सी0सी0,
पीपलकोटी।

संख्या-3075 / आठ-एम0बी0 (2017-2018) गोपेश्वर दिनांक 26 फरवरी, 2018

विषय- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 के कि0मी0 446.00 से कि0मी0 528.00 (माण) तक 3जी अभिनिर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सर्वे रिपोर्ट का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसमें संशोधित एल0ए0पी के पश्चात् निजी नाप भूमि के वह खसरा नम्बर जो कि 3 डी में कृषि में दर्शाये गये हैं तथा संरेखण के अन्दर हैं तथा जिसका मूल्यांकन संयुक्त सर्वे समिति के द्वारा किया गया है जिसमें आपके विभाग के जूनियर इंजीनियर भी उपस्थित थे। दिनांक 21.02.2018 को संमरेखण के अन्दर आने वाले खसरों को सत्यापन हेतु आपको प्रेषित किये जाने के उपरान्त आपके स्तर से यह टिप्पणी की गयी है कि जो खसरे लम्बित एवं समरेखण से बाहर है अगर वो संशोधित एल0ए0पी0 में आ रहे है उसकी भी 3जी बनाने का कष्ट करें। आपको अवगत कराना है कि संयुक्त सर्वे समिति के द्वारा ग्राम पाण्डुकेश्वर एवं औंथ हनुमानचट्टी में जो खसरा नम्बर संमरेखण के अन्दर एवं जिन पर सड़क निर्मित नहीं थी उन खसरा नम्बरों को प्रस्तावित किया गया है।

ग्राम औंथ हनुमानचट्टी के वे खसरा नम्बर जो कि 3डी में निजी कृषि के रूप में दर्ज है एवं 0-50 मी0 के अन्दर है उनका 3ए के प्रकाशन दिनांक 06 मई 2016 के समय जिलाधिकारी चमोली द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2016 से जारी सर्किल रेट के अनुसार कृषि दर पर इनका मूल्यांकन किया गया है। ग्राम औंथ हनुमानचट्टी नगरीय नगर पंचायत या नगर पालिका के अन्तर्गत नहीं आता है अतः इसका गुणांक (ग्रामीण)- 02 है, मूल्यांकन निम्नवत् है-

जिला चमोली तहसील जोशीमठ ग्राम औंथ हनुमानचट्टी											
उत्तराखण्ड राज्य के चमोली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के किमी0 446.00 (पाखी) से किमी0 528.00 (माण) तक सड़क खण्ड के लिये अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण											
क्र सं	खाता संख्या	खसरा संख्या	भू-स्वामी का नाम	भूमि का प्रकार	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में) कृषि दर	मूल्यांकन (सर्किल रेट के अनुसार) (49 लाख प्रति हे0)	गुणांक @ x2	तोषण@ 100%	योग (8+9)	15 जून 2016 से 22 फरवरी 2018 तक दिन 618 @ 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मूलधन पर (रु0 में)	प्रतिकर अवार्ड का कुल योग (रु0 में) (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	5	767	कुन्दनसिंह आदि	निजि	0.010	49000	98000	98000	196000	9956	205956
2	13	210	चित्रसिंह आदि	निजि	0.003	14700	29400	29400	58800	2987	61787
योग					0.013	63700	127400	127400	254800	12942	267742
										प्रशासनिक व्यय @ 2.5%	6694
										सम्पूर्ण योग-	274436
(दो लाख चौहत्तर हजार चार सौ छत्तीस रूपये मात्र)											

94

इन खसरा नम्बरों एवं उनके रकवे एवं मूल्यांकन का अपने स्तर से भी परीक्षण कर ले, यदि कोई आपत्ति हो तो धनराशि अवमुक्त कराने से पूर्व अवगत करा लें। यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि यदि सम्बन्धित भूस्वामियों की भूमि जिसका पूर्व में भुगतान किया जा चुका है और उस भूमि का पुनः अर्जन कर लिया गया है तो इसका प्रतिकर भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः यह धनराशि अनुमानित है।

भवदीय,

सक्षम प्राधिकारी /
अपर जिलाधिकारी, चमोली।

प्रतिलिपि— निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु (गढवाल क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि आप भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मुआवजे की धनराशि को नियमानुसार वितरित किये जाने के उद्देश्य हेतु Fact Finding Commette के सदस्य है, अतः अपने स्तर से धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व परीक्षण कर लें।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि आप भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मुआवजे की धनराशि को नियमानुसार वितरित किये जाने की उद्देश्य हेतु Fact Finding Commette के सदस्य है, अतः अपने स्तर से धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व परीक्षण कर लें।
7. क्षेत्रीय अधिकारी— मुख्य अभियन्ता, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय 46/1 कैनल रोड जाखन देहरादून।

YEAR (2017-18)
DEPARTMENT NO. VJIT-MB
REGISTER NO. 470
26-2-18

सक्षम प्राधिकारी /
अपर जिलाधिकारी, चमोली।

Received
B Singh
26/2/2018

26-2-18

Mail No. 26/02/018
Date

Signature